


23.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।  
प्रार्थी का वादपत्र खारिज खारिज हो गया। मूल  
वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे  
कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र  
खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त  
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे  
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली  
नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील  
दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ

